

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 04.02.2024

थाना पुवायां को मिली बड़ी कामयाबी

थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा गौवंशीय मांस का परिवहन करने वाले बांछित अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार ।

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्री मनोज कुमार अवस्थी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्री पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण अपराध रोकधाम के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा 04.02.2024 को मुखबर की सूचना पर प्रतिबन्धित गौमांस का परिवहन कर बिक्री व खरीदने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 04.02.2024 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम को मुखविर द्वारा सूचना दी गयी कि बरौना जगल के पास पकड़े गये मुल्जिम के तीन अन्य साथी आज ग्राम सिसौरा मुकीमपुर की तरफ से खडण्जा रास्ते से ग्राम फरेंदावरा की तरफ आने वाले हैं जिनके पास नाजायज असलाह है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ श्री प्रदीप कुमार स्वयं हमराह पुलिस बल के मुखविर द्वारा बताये स्थान पर पहुँचे कुछ देर बाद सिसौरा मुकीमपुर की तरफ से तीन व्यक्ति आते दिखाये दिये जिन्हे एक बार क दबिश देकर तालाब की सीध में खडण्जे पर पकड़ लिया पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम राजू उर्फ रजा हुसैन पुत्र रफीउल्ला निवासी ग्राम रामपुर मदारौ थाना मोहम्मदी जनपद खीरी उम्र 40 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी पर एक अदद देशी तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम गुफरान पुत्र वली मोहम्मद निवासी ग्राम कहमरिया थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर उम्र 35 वर्ष बताया जिसके जामा तलाशी पर एक अदद देशी तमन्चा नाजायज 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। तीसरे ने अपना मतिउल्ला पुत्र लाल मोहम्मद निवासी ग्राम कहमरिया थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 45 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी पर पहने कपडों के अलावा कोई शय बरामद नहीं हुआ। जिनसे मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में पूछा तो एक राय होकर बताया कि साहब लाला उर्फ कदीर पुत्र रशीद निवासी मोहल्ला देवस्थान थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के पास कई काले मीट की दुकानों के लाईसेंस हैं जो मीट की सप्लाई करता है उसी की आड़ में गोमांस की भी सप्लाई कर देता है हम गरीब आदमी हैं लालच में आकर कभी कभार दुबके छिपके कदीर उर्फ लाला से खरीद कर दुबके छिपके बेच देते हैं लाला उर्फ कदीर का के अन्य साथी भी इस काम से इसका साथ देते हैं। जिन्हे कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 12.20 बजे पकड़ लिया गया। अभियुक्त को थाना पुवायाँ पर लाकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. राजू उर्फ रजा पुत्र रफीउल्ला निवासी रामपुर मुदारौ थाना मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी
2. मतीउल्ला पुत्र लालमोहम्मद निवासी ग्राम कहमरिया थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर
3. गुफरान पुत्र वली मोहम्मद निवासी ग्राम कहमरिया थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर

फरार/(प्रकाश में आये) अभियुक्त:-

1. लाला उर्फ कदीर पुत्र रशीद निवासी मोहल्ला देवस्थान थाना मोहम्मदी जनपद खीरी
2. एक साथी अज्ञात

पंजीकृत अभियोग: -

1. मु0अ0स0 82/24 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध अधिनियम
2. मु0अ0सं0 88/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त राजू उर्फ रजा हुसैन उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा मय एक कारतूस 315 बोर व अभियुक्त गुरफान उपरोक्त से एक अदद तमंचा मय एक अदद कारतूस 12 बोर बरामद हुए।

पूछताछ विवरण:-

पूछताछ पर अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि साहब लाला उर्फ कदीर पुत्र रशीद निवासी मोहल्ला देवस्थान थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के पास कई काले मीट की दुकानो के लाईसेंस है जो मीट की सप्लाई करता है उसी की आढ़ मे गोमांस की भी सप्लाई कर देता है हम गरीब आदमी है लालच मे आकर कभी कभार दुबके छिपके कदीर उर्फ लाला से खरीद कर दुबके छिपके बेच देते है लाला उर्फ कदीर का के अन्य साथी भी इस काम से इसका साथ देते हैं।

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राय थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 1747 यतेन्द्र चौहान थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 2171 परिक्षित तेवतिया थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 2543 जोनी यादव थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर